# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 31/018 तारीख रजू 09.7.2018

1 प्रेमचन्द जैन तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कर्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें भरजपुर जोन भरतपुर हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर :—आवेदक

बनाम

1 जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री नारायण गुप्ता जाति महाजन एफबीओ व मालिक फर्म अग्रवाल मिठाई भण्डार सब्जीमण्डी तिराहा कैलादेवी जिला करौली निवासी सरकारी अस्पताल के पस कैलादेवी जिला करौली — अभियुक्त

जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

**U/S 3(1)(zx)of FSSA 2006**

निर्णय दिनांक 25.3.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि तात्कालीन खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये भरतपुर जोन भरतपुर हाल खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 26 की उपधरा (2)(ा) धारा 51 का उल्लधंन के तहत गैरसायलान (अभियुक्त) के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसमे गैरसायल फर्म अग्रवाल मिठाई भण्डार सब्जीमण्डी तिराहा कैलादेवी जिला करौली मे चलाता हुआ मिला जिसमे आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ दही(खुला) आदि बेचता है। इस खाद्व पदार्थ मे मिलावट का अन्देशा होने पर मैने दुकान मालिक यानि गैरसायल से दही(खुला) का नमूना लेने को कहा गया एवं शुद्वता की जॉच हेतु लिया गया नमूना को जिसकी सूचना दुकान मालिक को जरिये प्रपत्र 5 ए देकर एक प्रति पर प्राप्ति हस्ताक्षर लिऐ गये एवं उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर कराकर मैने भी हस्ताक्षर किये गये शीशियों मे से जॉच हेतु खरीद कर प्राप्त किये गये,जिन्हे खाद्व विश्लेषक अलवर के यहॉ जॉच हेतु भेजा गया जॉच रिपोर्ट मे उक्त नमूना दही(खुला) सबस्टैण्र्डस किस्म का पाया गया है। प्रकरण दर्ज पंजीका कर गैरसायल को तलब किया गया। जिसमे गैरसायल जरिये वकालानतन उपस्थित आया। और जबाव पेश किया गया। अपने जबाव मे इस्तागास मे वर्णित बिन्दूओ को नकारते हुये कहा कि अप्रार्थी का दही अपमानक

चराये जाने वाले घास पर निर्भर करता है। ना ही यह स्वास्थ्य के लिऐ हानीप्रद है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं गैरसायल के जबाव का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा गैरसायल के प्रतिष्ठान से दिनांक 17.3.2018 को दही(खुला) का नमूना लिया गया था जो खाद्व विश्लेषक अलवर द्वारा इसे सबस्टैण्डर्स माना गया है। जिसमे गैरसायल द्वारा इस दही(खुला) मे कोई मिलावट नही होना बताया है किन्तु खाद्व विश्लेषक अलवर राजस्थान से प्राप्त रिपोर्ट एल.एस.267/एक्ट/2018/286 दिनांक 5.4.2018 से दही(खुला) सबस्टैण्डर्स **U/S 3(1)(zx) of FSSA 2006 Fat & SNF Contents are Low** प्रकृति का पाया गया। इस प्रकार से गैरसायल के द्वारा विक्रय किया गया खाद्व पदार्थ सबस्टैण्डर्स का है। और इस जॉच रिपोर्ट की चुनौती देने हेतु आवेदक के द्वारा अभियुक्त को धारा 46(4) के तहत 30 दिवस का समय दिया गया था किन्तु समय अवधि मे अप्रार्थी द्वारा इसको चुनोती नही दी गई है। हम अवेदक के प्रार्थना पत्र से सहमत है। नमूना सबस्टैण्र्डस होने पर इसके विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित समझते है।

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 **U/S 3(1)(zx) of FSSA 2006** धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 3100/– रूपये अंकेन तीन हजार सौ रूपये के दण्ड से दण्डित किया जाता है अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि सात दिवस में उक्त राशि न्यायालय में जमा कराई जावे तथा भविष्य मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 मे दिशा निदेशानुसार ही शर्ते के मुताबिक ही गुणवत्ता को ध्यान मे रख कर ही विक्रय/उपयोग लिया जावे। निर्णय की प्रति खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये भरतपुर जोन भरतपुर हाल खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
करौली